

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: (पी0सी0आर्य))

दांडिक अपील क्रमांक: 06/2012

संस्थित दिनांक-16.12.2011

फाईलिंग नंबर-23030300090211

भजना उर्फ भजनलाल पुत्र सूबालाल धोबी उम्र 35 साल  
निवासी ग्राम पहाड़िया मालनपुर, हाल पान  
पत्ते की गोठ लश्कर ग्वालियर

-----अपीलार्थी / आरोपी

वि रू द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-  
आरक्षी केन्द्र मालनपुर जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----प्रत्यर्थी / अभियोगी

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल अपर लोक अभियोजक  
अपीलार्थी / आरोपी द्वारा श्री विजय कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता

न्यायालय-श्री मनीष शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण  
क्रमांक-12/2005 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 17.11.2011 से उत्पन्न दांडिक  
अपील ।

--- निर्णय ---

(आज दिनांक 13 अक्टूबर-2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी / आरोपी की ओर से उक्त दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 द0प्र0सं0 के तहत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री मनीष शर्मा द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक-12/2005 में दिनांक 17.11.2011 को प्रदत्त निर्णय व दण्डाज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी / अपीलार्थी को धारा-458 एवं 380 भादवि में दोषी पाते हुए धारा-458 भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-रुपये (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से एवं धारा-380 भादवि में भी दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-रुपये (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

2. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि फरियादिया कलाबाई उर्फ कलावती दिनांक 15.06.04 को रात्रि में जब अपने घर में सो रही थी तब नीचे के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उसने देखा कि एक आदमी है जिसे पकड़ लिया जो भजना धोबी था, तथा उसके द्वारा लोहे की रॉड से सिर में मारा और घर का सामान जिसमें दो सूटकेस, कपड़े, जेवर कीमती लगभग आठ हजार रुपये की चोरी हो गयी थी। मौके पर बनवारी आ गया जिसने मौके पर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की थी परन्तु वह भाग गया। जिस संबंध में थाना मालनपुर में अप0क्र0-103/04 पर प्रथम

सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। नक्शामौका बनाया गया। आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। साक्षीगण के कथन अंकित कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एवं संपूर्ण विवेचना उपरान्त अंतिम प्रतिवेदन सक्षम जे०एम०एफ०सी० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 458, 380 भा०द०सं० के तहत आरोप विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये गये तो आरोपी ने अपराध अस्वीकार किया। विचारणोपरान्त आरोपी को धारा-458 एवं 380 भादवि में दोषी पाते हुए धारा-458 भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-रुपये (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से एवं धारा-380 भादवि में भी दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-रुपये (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

4. आरोपी/अपीलार्थी द्वारा अपने अपील ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.11 विधि विधान के विपरीत होकर अभिलेख पर आई साक्ष्य के प्रतिकूल है। अभियोजन की ओर से अ०सा०-1 कलाबाई उर्फ कलावती अ०सा०-2 रजनी जो एक दूसरे से संबंधित है तथा दोनों माँ एवं पुत्री हैं। इस प्रकार दोनों साक्षी हितबद्ध साक्षी की श्रेणी में आते हैं और अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें ही आधार मानकर निर्णय व दण्डाज्ञा देने में कानूनी भूल की है। घटना की रिपोर्ट के अनुसार घटना के समय बनवारी का आना बताया गया है उसने चोर को पकड़ने में सहयोग किया है। इससे बनवारी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है और न्यायालय में उक्त चक्षुदर्शी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि घटना मनगढन्त बनाई गई है। तथा साक्षी रमाबाई अ०सा०-4 ने घटना का समर्थन नहीं किया है जिससे भी घटना मनगढन्त होना प्रतीत होती है तथा रबूदीसिंह ए०एस०आई० जो उक्त प्रकरण का अन्वेषण अधिकारी है उसके द्वारा जप्त किये गये माल की शिनाख्ती व जप्ती तैयार नहीं कराई गई है न ही अभिलेख पर संलग्न किये गये हैं और न ही चोरी गये माल के संबंध में अभियोजन ने किसी साक्षी को पेश किया है और संपूर्ण न्यायालयीन विवेचना के दौरान संपत्ति पत्रक एवं शिनाख्ती के प्रश्न पर कोई सारहीन तथ्य का उल्लेख नहीं है कि चोरी में गया सामान किस व्यक्ति के पास है न ही आरोपी/अपीलार्थी से चोरी गये सामान की जप्ती ही हुई है। अतः उपरोक्त आधारों पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 07.11.11 अपास्त कर आरोपी को दोषमुक्त किया जावे एवं अर्थदण्ड भी वापिस दिलाया जावे।

5. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1- "क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 12/05 निर्णय दिनांक 17.11.11 विधि विधान एवं साक्ष्य के विपरीत होकर अपास्त किये जाने योग्य है?
- 2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—::— **निष्कर्ष के आधार** —::—

6. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया आलोच्य निर्णय का अध्ययन किया। अपील ज्ञापन में उठाये बिन्दुओं लिये गये आधारों पर भी चिन्तन,

मनन किया गया। आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील ज्ञापन में लिये गये आधारों के अनुरूप ही तर्क करते हुए मूलतः यह बताया है कि आरोपी के द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है और उसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने हितबद्ध साक्षियों की साक्ष्य को विश्वसनीय मानकर दोषसिद्धि की है। जबकि प्रकरण में कोई स्वतंत्र साक्षी पेश नहीं हुआ है। विवेचक का कथन भी नहीं कराया गया है। और प्रकरण के स्वतंत्र साक्षीगण बनवारी व रमाबाई के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा विधि विरुद्ध होने से अपास्त की जावे। साथ ही यह भी तर्क किया गया है कि आरोपी मजदूर पेशा गरीब व्यक्ति है और उसके द्वारा पूर्व में न्यायिक निरोध में कुछ समय व्यतीत किया गया है। वर्तमान में भी वह जेल में है इसलिये न्यायिक निरोध की अवधि ही पर्याप्त दण्डादेश है क्योंकि कोई संपत्ति ही बरामद नहीं हुई है और अन्य आरोपी ज्ञात नहीं हुए तथा प्रकरण वर्ष 2004 से लंबित है इस तरह करीब ग्यारह वर्ष हो चुके हैं और आरोपी लंबी अवधि तक अभियोजन का सामना भी करता रहा है उसके विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि का भी कोई प्रमाण नहीं है। वह बीमार भी रहता है इसलिये सहानुभूति के आधार पर उसे काटी गई न्यायिक निरोध की अवधि तथा जमा किये गये अर्थदण्ड से ही दण्डित कर छोड़ दिया जावे जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा कड़ा विरोध किया गया कि चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए कोई उदारता न बरती जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व दण्डाज्ञा को यथावत रखा जावे।

7. अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण का चिन्तन मनन किया गया। दांडिक अपील के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि अपीलीय न्यायालय को भी विचारण के दौरान आई साक्ष्य का मूल्यांकन निष्कर्ष निकालते समय करना चाहिए। जैसा कि न्याय दृष्टांत **म.प्र. राज्य विरुद्ध बल्लोर उर्फ रामगोपाल 2006 भाग-1 म.प्र. विधि भास्वर पेज-1** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। मूल अभिलेख के अवलोकन से अभियोजन कथानक मुताबिक जो घटना बताई गई है। वह दिनांक 15.06.04 की रात्रि के समय की बताई गई है जबकि फरियादिया कलाबाई उर्फ कलावती अपने घर में सो रही थी। उसकी लड़की भी सो रही थी। तब उसे घर में दूँढा ढकरी की आवाज सुनाई देने पर वह नीचे आइ तो कमरे का दरवाजा खुला था और एक व्यक्ति उसे दिखा जिसने उसे पकड़ा था और देखा था तो वह भरोसी का भाई भजना धोबी निवासी खनैता का था जिसने उसके सिर में लोहे का रॉड भी मारी थी जिससे वह छूट गया था। एक रॉड उसकी पीठ में भी मारी थी। तभी भजना के साथी घर में रखा सूटकेस लेकर गया था जिसमें उसके व उसके व उसकी लड़की के कपड़े व जेवर कीमती करीब आठ हजार रुपये रखे हुए थे। किरायेदार बनवारी ने भी आकर चोरों को पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वह भाग गये थे। उक्त घटना के आधार पर वगैर अनुचित विलंब के कलाबाई उर्फ कलावती द्वारा थाना मालनपुर में की गई रिपोर्ट पर से प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध करते हुए घटना का संज्ञान में लिया गया और विवेचना पूर्ण कर आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया गया था।

8. यह सही है कि कथानक मुताबिक आरोपी/अपीलार्थी का जो साथी घटना के समय साथ में होना बताया गया और जो सूटकेस लेकर भाग गया तथा अनुसंधान में भी प्राप्त नहीं हुआ उसके आधार पर आरोपी/अपीलार्थी भजना कोई लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। क्योंकि आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध स्पष्ट रूप से साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए यह विनिश्चित किया जाना है कि उसके द्वारा प्र0पी0-1 में बताई गई घटना कारित की गई या नहीं की गई? और उसके संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है या नहीं?

9. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा-458, 380 भा0द0वि0 के आरोप का विचारण करते हुए आलोच्य निर्णय मुताबिक दोषसिद्धि की है। अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें अभियोजन की ओर से कुल पांच साक्षी परीक्षित कराये गये हैं जिनमें फरियादिया श्रीमती कलाबाई, उसकी पुत्री रजनी एवं चिकित्सक आलोक शर्मा, रामाबाई एवं एएसआई रबूदीसिंह के कथन कराये गये हैं। एएसआई रबूदीसिंह अ0सा0-5 के द्वारा किये गये अनुसंधान में केवल बनवारी का कथन ही उसके द्वारा लिया गया था। बनवारी परीक्षित नहीं हुआ। शेष विवेचना उसके साथ पदस्थ रहे उपनिरीक्षक अशोक कुमार घनघोरिया द्वारा करना बताता है जिसमें प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0, प्र0पी0-2 का नक्शामौका, तथा प्र0पी0-5 के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी के अलावा फरियादिया व अन्य साक्षियों के कथन आदि लेना बताये गये हैं। एस0आई0 ए0के0 घनघोरिया का कथन नहीं हुआ है और उसके स्थान पर उसके लेखक व हस्ताक्षर से परिचित होने व साथ में कार्यरत होने के आधार पर एएसआई रबूदीसिंह अ0सा0-5 ने श्री घनघोरिया द्वारा की गई कार्यवाही के बाबत साक्ष्य दिया है और उस पर बचाव पक्ष की ओर से कोई आपत्ति भी नहीं की गई है इसलिये विवेचक का कथन न होने का अब वह आधार नहीं बना सकता है और न ही उसके आधार पर कोई संदेह माना जा सकता है। क्योंकि यह भी सुस्थापित विधि है कि विवेचक की किसी कमी या त्रुटि के कारण अभियोजन का संपूर्ण मामला अग्राह्य नहीं होता है।

10. प्रकरण में एफ0आई0आर0 मुताबिक फरियादिया के किरायेदार बनवारी का भी मौके पर आना आरोपी/अपीलार्थी को पकड़ने की कोशिश करना और उसका भाग जाना बताया गया था। बनवारी का कथन नहीं हुआ है जो स्वतंत्र साक्षी की श्रेणी में अवश्य आता था किन्तु उसके आधार पर भी अभिलेख पर आई साक्ष्य को अग्राह्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सुस्थापित विधि है कि दाण्डिक विचारण में साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय साक्षियों की संख्या नहीं देखी जाती है बल्कि उनकी गुणवत्ता देखी जानी चाहिए। जैसा कि न्याय दृष्टांत **नंदराम एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 आई0एल0आर0 (2011) एम0पी0 493** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये अभिलेख पर जो साक्ष्य उपलब्ध है उसका मूल्यांकन करते हुए यह देखना होगा कि क्या बताई गई घटना आरोपी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित होती है या नहीं?

11. प्रकरण में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोपी की शिनाख्ती का भी प्रश्न उठाया गया है किन्तु वह इसलिये महत्व नहीं रखता है कि प्र0पी0-1 की एफआईआर मुताबिक आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट की गई थी और उसे मौके पर ही पकड़ना बताया गया है। बिना विलंब के रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा फरियादिया कलाबाई उर्फ कलावती अ0सा0-1 के प्रतिपरीक्षण के पैरा-4 में बचाव पक्ष की ओर से जो सुझाव दिया गया उसमें यह आधार लिया गया है कि आरोपी भजनलाल से फरियादिया की बुराई चल रही है इस कारण वह उसे झूठा फंसाने के लिये झूठा कथन कर रही है। इस सुझाव से यह तो स्पष्ट है कि आरोपी/अपीलार्थी और फरियादिया घटना के पहले से एक दूसरे से परिचित थे। ऐसे में भी शिनाख्ती का बिन्दु कोई महत्व नहीं रखता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ यू0पी0 विरुद्ध सुखपाल ए0आई0आर0 2009 सुप्रीमकोर्ट पेज-1729** में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि आरोपी को फरियादी पहले से जानता हो तो शिनाख्ती की आवश्यकता नहीं है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **leading case law** दस्तगी के मामले में भी यह मार्गदर्शित किया हुआ है कि जहाँ नामजद रिपोर्ट हो वहाँ शिनाख्ती की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिये शिनाख्ती का बिन्दु प्रकरण में उत्पन्न ही नहीं



होता है।

12. जहाँ तक मूल घटना के संबंध में आई साक्ष्य का प्रश्न है, फरियादिया श्रीमती कलाबती उर्फ कलाबाई अ०सा०-1 ने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि वह घटना के समय रात में सो रही थी उसकी लड़की रजनी और मीना भी सो रही थीं। आवाज आने पर उसने देखा था तो मकान में चोर घुस आये थे, चार लोग थे जिनमें से तीन भाग गये थे। एक को पकड़ लिया था जो भजना था जिसने उसके सरिया सिर में मारा था। चोर दो सूटकेस ले गये थे जिसमें उसके जेवरात कश्मीरी, पाजेब, चांदी का मंगलसूत्र, टॉप्स, फूल सोने के व अन्य सामान चोरी गया था। एक सूटकेस में जेवरात थे तथा दूसरे में कपड़े, साड़ियाँ आदि थीं। उसने यह कहा है कि बनवारी उसम समय रहता था लेकिन आया नहीं था। घटना की प्र०पी०-1 की रिपोर्ट करना भी उसने बताया है। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर आकर प्र०पी०-2 का नक्शामौका भी उसके सामने बनाया जाना कहता है साथ ही यह भी कहा है कि उसे जो चोट आई थी उसका सरकारी अस्पताल में पुलिस ने इलाज भी कराया था। घटना के समय वह खडेश्वरी मंदिर के पास मालनपुर में रहता था और भजना को वह पहले से जानता था जो एण्डोरी का रहने वाला है। वह चार लोगों का घर में घुसना और आरोपी भजना को घर के अंदर आंगन में पकड़ना बताती है। उसके मुताबिक बनवारी उपर के कमरे में रहता था और सो रहा था। वह घर के अंदर जाने का रास्ता बताती है।

13. इसी आशय का उसके पुत्री रजनी अ०सा०-2 ने भी स्पष्टतः अभिसाक्ष्य दिया है और दोनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई भी तथ्य नहीं आये हैं जो कि आरोपी/अपीलार्थी भजना को किसी आपसी बुराई भलाई या रंजिश आदि के कारण झूठा फंसाया जाना स्थापित करती हो। इसलिये उक्त दोनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय है और उनके आधार पर ही अभियोजन प्र०पी०-1 मुताबिक बताई गई घटना युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित होती है कि आरोपी/अपीलार्थी भजना द्वारा दिनांक 15.06.04 की दरम्यानी रात्रि में खडेश्वरी मंदिर के पास फरियादिया कलाबाई उर्फ कलाबती के आवास में जिसमें वह अपनी संपत्ति भी रखती थी उसमें उसे उपहति कारित करने की तैयारी के साथ रात्रोप्रछन्न गृह अतिचार करते हुए उसके स्वामित्व के जेवरात व कपड़े रखे दो सूटकेस कीमती करीब आठ हजार रुपये बेईमानीपूर्वक सद्दोष अभिलाष प्राप्त करने के लिये ले जाकर चोरी की। क्योंकि न पर अविश्वास करने का कोई भी आधार प्रकरण में नहीं है। तथा कलाबती उर्फ कलाबाई के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की विश्वसनीयता डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०-3 के अभिसाक्ष्य से भी होती है जिसके द्वारा दिनांक 15.06.04 को ही सी०एच०सी० गोहद में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए परीक्षण हेतु लाये जाने पर कलाबाई का परीक्षण किया था जिसके माथे पर बाई ओर 3 गुणित .5 गुणित .3 से०मी० का फटा हुआ घाव पाया गया था जिसकी उसने प्र०पी०-3 की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी और चोटें 24 घण्टे के अंदर की होना उसने बताई हैं। हालांकि वह चोट फिसलकर गिरने से भी आने की संभावना व्यक्त करता है किन्तु कलाबती उर्फ कलाबाई को ऐसा कोई सुझाव बचाव पक्ष की ओर से नहीं दिया गया कि वह फिसलकर गिर गई जिससे उसे माथे में लग गई थी इसलिये कलाबती उर्फ कलाबाई जो आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा मारना बता रही है, वह विश्वसनीय प्रतीत होता है।

14. रामाबाई अ०सा०-4 के समर्थन न करने से भी कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ेगा क्योंकि स्वतंत्र साक्षियों के समर्थन न करने के अनेक अज्ञात कारण हो सकते हैं जैसाकि न्याय दृष्टांत अप्पाभाई एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ

गुजरात ए0आई0आर0 1998 एस0सी0 पेज-699 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

15. ऐसी स्थिति में अभिलेख पर अभियोजन की जो साक्ष्य है वह कथानक की पुष्टि करते हुए विश्वसनीय है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय मुताबिक अ0सा0-1 व 2 को विश्वसनीय मानकर धारा-458 एवं 380 भा0द0वि0 के अपराध में आरोपी/अपीलार्थी भजना को दोषसिद्ध किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। इसलिये दोषसिद्धि के बिन्दु पर प्रस्तुत दांडिक अपील सारहीन मानते हुए निरस्त की जाती है।

16. जहाँ तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है, आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लंबी अवधि के चले विचारण, आरोपी के न्यायिक निरोध की अवधि, उसके गरीब और मजदूर होने तथा प्रथम अपराधी होने के आधार पर उदारता बरते जाने की प्रार्थना करते हुए काटी गई न्यायिक निरोध की अवधि और जमा किये गये अर्थदण्ड को ही पर्याप्त दण्ड मानकर छोड़ने की प्रार्थना की गई है जिसका ए0जी0पी0 द्वारा तर्कों में विरोध किया गया है।

17. दण्डाज्ञा पर विचार करते समय अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों पर विचार किया गया। यह सही है कि अभिलेख पर आरोपी के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है जिससे उसके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि अवश्य होती है और प्रकरण वर्ष 2004 का है तथा वर्ष 2011 में विचारण न्यायालय का निर्णय आया। इस तरह करीब सात वर्ष का समय इस दौरान व्यतीत हुआ। अपील को विचाराधीन रहते हुए भी करीब साढ़े तीन साल हो गये हैं किन्तु यह परिस्थितियाँ आरोपी को काटी गई न्यायिक निरोध की अवधि और जमा अर्थदण्ड के दण्डादेश से दण्डित कर छोड़ने हेतु पर्याप्त और सुदृढ़ नहीं है क्योंकि चोरी की घटना ऐसे परिवार के साथ घटित की गई जिसका पति बाहर मजदूरी पर गया था तथा घर में केवल स्त्रियाँ थीं और चोरी रोकने पर फरियादिया के साथ मारपीट तक की गई। इसलिये भी न्यायिक निरोध की अवधि पर्याप्त दण्डादेश नहीं हो सकता है। तथा अर्थदण्ड जो कि अधीनस्थ न्यायालय ने दो हजार रुपये किया था तथा चोरी गये सामान की कीमत आठ हजार रुपये के करीब आंकी गई इसलिये अर्थदण्ड ही पर्याप्त दण्डादेश नहीं हो सकता है तथा दोषसिद्ध अपराध में कारावास और अर्थदण्ड दोनों सजाएँ आवश्यक हैं तथा घटना में महिला के साथ की गई मारपीट को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये दो दो वर्ष के सश्रम कारावास के दण्डादेश जो कि एक साथ भुगताये जाने का भी निर्देश है, उसे अविवेक पूर्ण या अनुचित दण्डादेश नहीं माना जा सकता है। फलतः दण्डाज्ञा के बिन्दु पर भी आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क एवं प्रकट की गई परिस्थितियाँ स्वीकार योग्य नहीं हैं। फलतः दण्डाज्ञा के बिन्दु पर अपील सारहीन मानते हुए निरस्त की जाती है। और अधीनस्थ न्यायालय का धारा-458, 380 भा0द0वि0 के अपराध के लिये दो दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/-रुपये (एक एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड को उचित मानते हुए यथावत रखते हुए अपील निरस्त की जाती है।

18. आरोपी की दोनों सजाएँ एक साथ भुगताई जावें।

19. क्षतिपूर्ति के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की कण्डिका-16 को यथावत रखा जाता है।

20. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र पृथक से तैयार नहीं किया है जो कि पृथक से तैयार किया जाना चाहिए था अतः तैयार किया जावे जिसमें विचारण के दौरान काटी गई अवधि एवं अपील के दौरान भी काटी गई अवधि को समायोजित किया जावे।

21. आरोपी को निर्णय की नकल निःशुल्क प्रदान की जावे एवं एक डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: **13.10.15**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)